भारत सरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय

ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 377

(19 जुलाई, 2022 को उत्तर दिए जाने के लिए)

पीएमएवाई-जी के अंतर्गत 'डी' प्लस सूची

377. श्री सदाशिव किसान लोखंडे:

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने प्रधान मंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के तहत आवास सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए पुन: सर्वेक्षण कर योजना की 'डी' प्लस सूची में महाराष्ट्र के शिरडी संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत श्रीरामपुर , रहाटा, कोपरगांव, राहुरी, नेवासा, संगमनेर, अकोले के छोटे गांवों को शामिल कर के दूर-दराज में रहने वाले ग्रामीणों हेतु आवास उपलब्ध कराने के कोई कदम उठाया है या उठाने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

ग्रामीण विकास राज्य मंत्री

(साध्वी निरंजन ज्योति)

(क) और (ख): "सभी के लिए आवास" सुनिश्चित करने हेतु प्रधान मंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 2.95 करोड़ मकानों के निर्माण का समग्र लक्ष्य निर्धारित है। योजना के तहत लाभार्थियों की पहचान आवास वंचन मानकों और सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना (एसईसीसी) 2011 के तहत निर्धारित बहिष्करण मानदंडों के आधार पर की जाती है। इन मानकों/मानदंडों को सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना 2011 और "आवास+" सर्वेक्षण डेटाबेस दोनों पर लागू किया जाता है और फिर उन्हें आगे ग्राम सभा द्वारा उचित सत्यापन और तत्पश्चात एक अपीलीय प्रक्रिया के अध्यधीन निर्धारित किया जाता है। एसईसीसी डेटाबेस के माध्यम से उपलब्ध पात्र लाभार्थियों की संख्या वर्तमान में 2.15 करोड़ (लगभग) है। 80 लाख मकानों (2.95-2.15) के अंतर को पूरा करने के लिए आवास+ डेटा का उपयोग किया जा रहा है। इसमें से अब तक राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 63.68 लाख का लक्ष्य आवंटित किया गया है जिसमें महाराष्ट्र को आवंटित 3,91,921 मकानों का पूर्ण और अंतिम लक्ष्य शामिल है। वर्तमान में आवास+ सूची में अतिरिक्त लाभार्थियों को शामिल करने के लिए पुन: सर्वेक्षण करने का कोई प्रस्ताव मंत्रालय में विचाराधीन नहीं है।

*****